न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7062–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–4–2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 86/बी–103/14–15.

1– प्रमोद कुमार पुत्र सत्यपाल बवेजा
2– श्रीमती रानी बवेजा पत्नी प्रमाद बवेजा
निवासी गांधी नगर, इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा उप पंजीयक, इटारसी
2– शाखा प्रबंधक बैक आफ इण्डिया
शाखा इटारसी जिला होशंगाबाद ..... अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 7/3/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 बैक आफ इण्डिया द्वारा आवेदकगण के पक्ष में रूपये 1,00,000/– के मुद्रा पत्र पर दस्तावेज विलेख साम्यिक घोषणा पत्र निष्पादित कर रूपये 6,00,00,000/– (छः करोड़ रूपये) ऋण स्वीकृत किया गया । महालेखाकार, ग्वालियर के ऑडिट दल द्वारा इस आशय की आपत्ति ली गई कि

प्रश्नाधीन विलेख पर अधिनियम की अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 6 (क) के अनुसार 0.50 प्रतिशत मुद्रांक (0.25 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क, 0.25 प्रतिशत पंचायत शुल्क) देय है, जो कि अधिकतम 10,00,000/– रूपये है । इस प्रकार प्रश्नाधीन विलेख पर 3,00,000/– रूपये मुद्रांक शुल्क देय था, जबकि आवेदकगण द्वारा 1,00,000/– रूपये मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है । अतः कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 2,00,000/– वसूली योग्य है । उक्त आडिट आपत्ति के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 19/बी–103/11–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 31–10–2013 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 2,00,000/– एवं अधिनियम की धारा 40 (ख) के अंतर्गत 10,000/– रूपये अर्थदण्ड सहित कुल रूपये 2,10,000/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 432–पीबीआर/14 प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–2–2015 को आदेश पारित कर कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण उभय पक्ष द्वारा इस न्यायालय में उठाये गये आधारों पर सुनवाई का अवसर देकर विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । इस न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 29–4–2016 को आदेश पारित कर आवेदकगण को कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 2,00,000/– एवं अधिनियम की धारा 40 (ख) के अंतर्गत 10,000/– रूपये अर्थदण्ड कुल रूपये 2,10,000/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा बिना कार्यवाही किये आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि मुद्रांक शुल्क में वृद्धि का संशोधन दिनांक 2–8–2008 से लागू हुआ है, जबकि उसके द्वारा दिनांक 31–3–2008 के पूर्व ही ऋण लिया गया है, और तत्समय प्रचलित विधि अनुसार उसके द्वारा 2,50,000/– मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है, जबकि अंकेक्षण दल द्वारा रूपये 1,50,000/– मुद्रांक शुल्क वसूली योग्य बताये गये हैं । इस आधार पर कहा

गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 31–8–2008 को सम्पूर्ण मुद्रांक शुल्क अदा कर दिया गया है, और उसके पश्चातवर्ती अवधि में बैंक द्वारा हक विलेख के निक्षेप का निष्पादन किया गया है, तब मुद्रांक शुल्क अदा करने का दायित्व बैंक का ही है, आवेदकगण का नहीं । उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प इस न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में विधिवत कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 2 बैंक आफ इण्डिया द्वारा आवेदकगण के पक्ष में रूपये 1,00,000/– के मुद्रा पत्र पर रूपये 6,00,00,000/– (छः करोड़) ऋण स्वीकृत किया गया है । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा महालेखाकार, ग्वालियर के निरीक्षण दल के आक्षेप के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 31–10–2013 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 2,00,000/– एवं अधिनियम की धारा 40 (ख) के अंतर्गत शास्ति रूपये 10,000/– कुल रूपये 2,10,000/– जमा करने के आदेश दिये गये थे । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण कमांक निगरानी 432–पीबीआर/14 प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–2–2015 को आदेश पारित कर कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष द्वारा इस न्यायालय में उठाये गये आधारों पर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया जाये । कलेक्टर आफ स्टाम्प इस न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में पुनः विधिवत कार्यवाही की जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दिनांक 29–4–2016 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि साम्यिक घोषणा पत्र (बंधक) में ऋण राशि रूपये 6,00,00,000/– (छः करोड़) की स्वीकृति की गई है, और साम्यिक घोषणा पत्र हक निक्षेप विलेख (बंधक) बंधकग्रहीता बैंक के पक्ष में किया गया है । घोषणा पत्र का निष्पादन ऋणग्रहीता आवेदकगण एवं

अनावेदक कमांक 2 बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिनांक 21–4–2009 को रूपये 1,00,000/– के मुद्रा पत्र पर किया गया है । दस्तावेज के साथ संलगन oral assent Equitable Mortage जिसका निष्पादन दोनों पक्ष द्वारा दिनांक 2–9–2008 को किया गया है, अतः अधिनियम की धारा 17 एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना दिनांक 2–8–2008 के अनुसार प्रतिभूति राशि 6,00,00,000/– (छः करोड़) का 0.25 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क एवं पंचायत शुल्क 0.25 प्रतिशत देये होने से कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रतिभूति राशि 6,00,00,000/– (छः करोड़) का 0.25 प्रतिशत की दर से कमी मुद्रांक शुल्क + 0.25 प्रतिशत पंचायत शुल्क कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 2,00,000/– एवं अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड राशि 10,000/– कुल रूप0ये 2,10,000/– एक माह में जमा करने के आदेश दिये गये हैं, जो उचित कार्यवाही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर